

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

कमला देवी

बनाम

पवन कुमार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 143/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी <del>श्री</del> / श्रीमती <u>कमला देवी</u></p> <p><u>पुत्री</u> श्री <u>मेवालालजी वागड</u></p> <p>निवासी <u>8, से.नं.04 गांधीनगर चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सुरजपोल (तह.बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1776/1742</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0.1200</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सुरजपोल (तह.बस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1776/1742</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0.1200</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षर <u>पवन जी वागड</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>